ई0मेल
afrcup1155@gmail.com
शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–5105-08/प्रफीनिस/मा0शु0नि0/2023

प्रेषक,

सचिव,
प्रवेश और फीस नियमन समिति,
बासमण्डी चौराहा, चारबाग,
लखनऊ।

सेवा में,

1. **कुल सचिव,**
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।
2. **निदेशक,**
प्राविधिक शिक्षा,
उ0प्र0 कानपुर।
3. **सचिव,**
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।
4. **सचिव,**
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
लखनऊ।

प्रवेश और फीस नियमन समिति, लखनऊ :दिनांक 17 जून, 2023

विषयः–प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित मानक शुल्क की सूचना अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं को सूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यकमों हेतु समिति के आदेश संख्या–5104/प्र0फी0नि0स0/2023 दिनांक 17 जून, 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष) हेतु मानक शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्सम्बन्ध में सूचना समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर अपलोड कर दी गयी है।

CamScanner

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित मानक शुल्क आदेश को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित कराने का कष्ट करें एवं तत्सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से समिति कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेश चन्द्रा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(राजेश चन्द्रा)
सचिव

छायाप्रति

वेबसाइट पर
करें एवं

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या–5104 / प्र0फी0नि0स0 / 2023
लखनऊ दिनांक 17 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781 / सोलह–1–14(34) / 2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली–2015 में दी गई व्यवस्थानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की समस्त डिग्री / डिप्लोमा एवं सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:–

(क) डिग्री स्तरीय संस्थानों हेतु:–

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु:–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	बी0टेक0	61,200.00
02	बी0फार्मा0	70,500.00
03	बी0आर्की0	64,300.00
04	बी0एफ0ए0	94,900.00
05	बी0एफ0ए0डी0	94,900.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	77,900.00
07	एम0बी0ए0	66,500.00
08	एम0सी0ए0	61,200.00
09	एम0फार्मा0	76,500.00
10	एम0आर्की0	64,000.00

11	एम0टेक0	64,000.00
12	समस्त बी0 वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु	29,900.00
13	एम0बी0ए0 इन्ट्रीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु	28,700.00

(ख) डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों हेतुः–

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में तीन वर्षीय सभी पाठ्यक्रम एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग	33,600.00
02	डी0फार्मा0	50,100.00
03	डी0आर्की0	33,700.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	34,800.00

- निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में दो वर्षीय (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	दो वर्षीय एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0 फार्मा0 के अतिरिक्त)	25,000.00

- सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्कः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (तीन वर्ष हेतु)
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 19,000.00